प्र.सं. 05/2021 जीसीएमएस आईडी : 2021/33
अश्वनी कुमार बनाम मूलाराम आदि
अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
17.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। बहस वकील उभयपक्ष की सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने प्रार्थना पत्र स्वीकर कर गै.मु. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की एवज में को प्रतिफल नहीं चाहते हैं। रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की भूमि चक 23 पीएस ए के मु.नं. 20 कि.नं. 10 की कृषि भूमि को काश्त करने हेतु कृषि यंत्र लाने व ले जाने आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 23 पीएस ए के मु.नं. 20 के कि.नं. 1/2 की 0.025है. नहरी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की भूमि चक 23 पीएस ए के मु.नं. 20 के कि.नं. 1/2 की 0.025है. नहरी भूमि रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आपति नहीं हैं और अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि जो कि रास्ता में आ जायेगी, उसकी एवज में कोई प्रतिफल राशि प्राप्त करना नहीं चाहता। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2021/439 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार अप्रार्थी अश्वनी कुमार के खेत मु.नं. 20 कि.नं. 10 में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं हैं और ना ही कोई प्रचलित रास्ता हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थी को चक 23 पीएसए प.नं. 210/295 मु.नं. 20 कि.नं. 1/2 में 0.025है. रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं। तहसीलदार रायसिंनहगर की रिपोर्ट अनुसार चूंकि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। अतः उक्त विवेचन, प्रार्थी अप्रार्थी की आपसी सहमति एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं, तथा चक 23 पीएस ए तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 20 प.नं. 210/295 के कि.नं. 1/2 में 0.025है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर स्वीकृत[illegible] रिकार्ड में अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया। नि[illegible] रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) 17/08/21 उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:32:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner